सदस्य संदर्भ सेवा
लार्डिस
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विधायी टिप्पण

संसद सदस्यों के उपयोगार्थ **प्रकाशनार्थ नहीं**

क्रमांक 35/एलएन/संदर्भ/दिसंबर/2023

भारतीय न्याय (द्वसरी) संहिता, 2023

[भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) को निरस्त करने का प्रयास]

एक नजर में

- • भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 का उद्देश्य 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं . संशोधित करना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संशोधन करना है। विधेयक में पहले की 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होंगी।
- • अब तक, 1860 का आईपीसी भारत के क्षेत्र पर लागू प्रमुख आपराधिक कानून है। इसकी विभिन्न धाराएँ विशिष्ट अपराधों को परिभाषित करती हैं और उनके लिए सज़ा का प्रावधान करती हैं। यह 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी में लागू हुआ, हालाँकि यह रियासतों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी उस समय अपनी अदालतें और कानूनी प्रणालियाँ थीं।
- • इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 पेश किया गया था; श्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में और सभापति, राज्यसभा ने 18 अगस्त 2023 को अन्य दो विधेयकों के साथ इस विधेयक को विचार और रिपोर्ट के लिए गृह मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया। समिति ने विचार-विमर्श के बाद कई टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- • समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों को शामिल करते हुए एक नया विधेयक, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 पेश करने का निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

यह विधायी टिप्पण सदस्यों को अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उनके निजी उपयोग के लिए हैऔर प्रकाशन हेतु नहीं है। इस सेवा को सूचना के स्रोत के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अंत में/संदर्भ में दिये गए स्रोतों पर आधारित है।

परिचय

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, 'पुराने कानूनों का उद्देश्य सरकार की सुरक्षा करना था लेकिन नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना और उन अधिकारों तक लोगों की पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करना है।' 27 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस के 75 आरआर बैच के दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए। उन्होंने यह बात ब्रिटिश काल के सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम के कानूनों को बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किए गए तीन कानूनों के संदर्भ में कही। गृह सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता-पूर्व आपराधिक कानूनों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने, लोगों और देश पर शासन करने और भारत पर अपना अधिकार और वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया जाता था। आपराधिक कानूनों, विशेषकर भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें वर्तमान समय की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार ढालने की आवश्यकता थी।

इन कानूनों को बनाने में एक लंबी प्रक्रिया अपनाई गई है. 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सभी विभागों में अंग्रेजों के समय बने सभी कानूनों पर वर्तमान समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में चर्चा और समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने इन कानूनों को बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया था, जिसमें 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालयों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विश्वविद्यालयों, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इस संबंध में अपने सुझाव दिए हैं। ये नये कानून. गृह मंत्री ने कहा, 4 साल तक इन कानूनों पर गहन चर्चा हुई और 158 परामर्श बैठकों में वह खुद मौजूद रहे.

पृष्ठभूमि

वर्ष 1834 में, मौजूदा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और नियमों के साथ-साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानूनों की जांच करने के लिए लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में पहले भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक भारतीय दंड संहिता थी जिसे 1860 में लागू किया गया था और समय-समय पर इसमें किए गए कुछ संशोधनों के साथ उक्त संहिता अभी भी देश में जारी है। यह एक ऐसा कानून है जो नागरिक कानून में अधिकार और जिम्मेदारियों और आपराधिक कानून में अपराध और सजा को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों की श्रेणियों में निम्नलिखित को प्रभावित करने वाले शामिल हैं: (i) मानव शरीर पर हमला और हत्या जैसे अपराध (ii) संपत्ति के खिलाफ अपराध जैसे जबरन वसूली और चोरी (iii) सार्वजनिक व्यवस्था जैसे गैरकानूनी सभा

और दंगा (iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, शालीनता, नैतिकता और धर्म (v) मानहानि (vii) राज्य के विरुद्ध अपराध, अन्य।

औपनिवेशिक काल से उपजे मौजूदा कानून अब भारतीय समाज की वर्तमान गतिशीलता और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मौजूदा कानूनों की अक्सर पुराने होने और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं होने के कारण आलोचना की जाती रही है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया था। सभापति, राज्यसभा ने 18 अगस्त 2023 को अन्य दो विधेयकों के साथ इस विधेयक को विचार और रिपोर्ट के लिए गृह मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया। समिति ने विचार-विमर्श के बाद कई टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक को वापस लेने और एक नया विधेयक, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 पेश करने का निर्णय लिया गया, जिसमें समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को शामिल किया गया है।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 दंड के बजाय न्याय प्रदान करने की दिशा में कानून की प्रकृति को बदलने का प्रयास करती है और औपनिवेशिक मानसिकता के निशान को हटाने के लिए एक कदम आगे होगी। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 1860 के औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 विधेयक पेश किया।

'भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 के उद्देश्य

विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है

- सरकार ने कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा आपराधिक कानूनों की समीक्षा करना समीचीन और आवश्यक समझा। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि आम आदमी के लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित हो सके।
- सरकार ने मौजूदा कानूनों को समसामयिक स्थिति के अनुरूप बनाने और आम आदमी को त्वरित न्याय प्रदान करने पर भी विचार किया। तदनुसार, लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और नागरिक केंद्रित कानूनी संरचना बनाने और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया गया।

- अपराधों और दंड से संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए, अब भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव है।
- छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। कुछ अपराधों को लिंग-निरपेक्ष बना दिया गया है।
- संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, विधेयक में आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराधों को निवारक दंड के साथ जोड़ा गया है।
- सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है। विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने और सज़ाओं को भी उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है।

विधेयक में कुछ नए जोड़े गए खंड/अनुच्छेद

1. 'ट्रांसजेंडर' को प्रस्तावित संहिता के खंड 2(10) के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार परिभाषित किया गया है।

2. 'सामुदायिक सेवा' को धारा 4(एफ) के तहत दंडों में से एक के रूप में पेश किया गया है। प्रस्तावित कानून इस सजा को छोटे-मोटे अपराधों के लिए निर्धारित करता है: जैसे किसी उद्घोषणा के जवाब में उपस्थित न होना [खंड 209], 'किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास' [खंड 226], चोरी के पैसे लौटाने पर छोटी-मोटी चोरी, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार [खंड 355], मानहानि, [खंड 356] आदि।

3. भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है ताकि विदेश में स्थित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके।

4. ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान नहीं था जो अपराध करने के उद्देश्य से किसी बच्चे को नियोजित करता है या संलग्न करता है। बनाने के लिए एक नया खंड 95 जोड़ा गया है; यौन शोषण या पोर्नोग्राफी अपराध सहित अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उपयोग करना जैसे कि उस व्यक्ति ने स्वयं अपराध किया हो।

5. हत्या से संबंधित खंड 103(2) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है: "जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा के आधार पर हत्या करता है, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर, ऐसे

समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

6. चूंकि हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए धारा 106 (2) के तहत एक नया प्रावधान किया गया है।

7. देश के खिलाफ संगठित अपराध और विध्वंसक गतिविधियों की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए, नए कानून में खंड 111 जोड़ा गया है जो संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है।

8. प्रस्तावित कानून में आतंकवादी कृत्यों के संबंध में दंड का प्रावधान करने के लिए एक खंड 113 जोड़ा गया है।

9. नए कानून में धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कृत्य से संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है।

विधेयक के कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

शीर्षक (Titles)	**खंड (Clause)**	**प्रावधान (Provisions)**
लिंग	Clause 2 (10)	"लिंग"—पुल्लिंग वाचक शब्द "वह" और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरूष हो या महिला या उभयलिंगी । **स्पष्टीकरण—**"उभयलिंगी" का वह अर्थ होगा, जो उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा (2) के खंड (ट) में है;
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	Clause 2 (39)	उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं : परन्तु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरी) संहिता, 2023 से लिया जाएगा ।
सात वर्ष से ऊपर, किंतु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का	Clause 21	कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके ।

कार्य ।		
विकृत्त चित्त व्यक्ति का कार्य ।	Clause 22	कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय, चित्त-विकृत्ति के कारण, उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है ।
किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है ।	Clause 26	कोई बात, जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने, या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त, या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है । **दृष्टांत** **क**, एक शल्य चिकित्सक, यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से **य** को, जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है किंतु **य** की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक **य** के फायदे के आशय से **य** की सम्मति से **य** पर वह शल्य क्रिया करता है । **क** ने कोई अपराध नहीं किया है ।
भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण ।	Clause 47	वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए । **दृष्टांत** **क** भारत में **ख** को, जो एक्स देश में विदेशीय है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है । **क** हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है ।
भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण ।	Clause 48	वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अन्तर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा, यदि भारत में किया जाए । **दृष्टांत** **क** एक्स देश में **ख** को, भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है । **क** हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है ।
कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड ।	Clause 65 (1)	(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा : परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

		परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया ।
कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड ।	Clause 65 (2)	(2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा : परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खचों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुमाने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा
प्रवंचनापूर्ण साधनों, आदि का प्रयोग करके मैथुन ।	Clause 69	जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर, उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना, उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण—**"प्रवंचनापूर्ण साधनों" में, नियोजन या प्रोन्नति, या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए, उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन, सम्मिलित है ।
सामूहिक बलात्संग ।	Clause 70(2)	जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए, अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से, दंडनीय होगा : परन्तु ऐसा जुर्माना पीडिता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा : परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीडिता को किया जाएगा ।
अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना ।	Clause73	जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में, कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण—**किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है ।

‘ किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना ।	Clause85	जो कोई, किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
क्रुरता की परिभाषा ।	Clause 86	धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” से निम्नलिखित अभिप्रेत है— (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की सम्भावना है ; या (ख) किसी महिला को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।
अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाडे पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना ।	Clause 95	जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाडे पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ; और यदि अपराध कारित किया जाता है तो, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो । **स्पष्टीकरण—**लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाडे पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थान्तर्गत है ।
हत्या के लिए दण्ड ।	Clause 103 (2)	जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा व्यैक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना ।	Clause 106	(1) जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । (2) जो कोई, यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है और घटना के तत्काल पश्चात्, इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना, निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के

		ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
संगठित अपराध ।	Clause 111	किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की और से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यष्टियों के समूहों द्वारा कोई सतत् विधिविरूद्ध क्रियाकलाप, जिसमें व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या करना, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है, प्राप्त करने के लिए हिंसा, हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या अन्य विधिविरूद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा ।
आतंकवादी कृत्य ।	Clause 113(1)	1) जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभूता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से— (क) बमों, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैविक रेडियोधर्मी, न्यूक्लीयर हों या अन्यथा) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है, जिससे,— (i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है ; या (ii) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता हैं या होने की संभावना है ; (iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है ; या (iv) सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कृटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है या होने की संभावना है ; या (v) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या विदेश में किसी सम्पत्ति का

		नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है ; या (ख) लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है ; या (ग) किसी व्यक्ति को निरूद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने को धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कार्य करता है ।
आतंकवादी कृत्य ।	Clause 113 (7)	जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य को कारित करने से व्यत्पुन्न या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है, किसी वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण—**संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाए ।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य ।	Clause 152	. जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत के संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से, या ऐसे कारावास से जो सात वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । **स्पष्टीकरण—**इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका- टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती ।

संदर्भ

1) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4219/1/THE-INDIAN-PENAL-CODE-1860.pdf

2) भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023

3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 https://www.livelaw.in/pdf_upload/the-bhartiya-nyaya-sanhita-2023-485731.pdf

4) पीआईबी https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1947941

5) राजद्रोह 'निरस्त', मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा: आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए नए विधेयक

https://www.thehindu.com/news/national/explained-sedition-repealed-death-penalty-for-mob-lynching-the-new-Bills-to-overhaul-criminal-laws/article67183580.ece

7) इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च

https://hcommons.org/deposits/item/hc:59089/

श्री नीरज सेमवाल, संयुक्त सचिव और श्री एस. एच. बाइते, निदेशक के पर्यवेक्षण में श्री असाखो चचेई, संयुक्त निदेशक और श्री अभिषेक ठाकुर, शोध अधिकारी द्वारा तैयार किया गया।